आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / प्रवेशनीति / 2020–21 / 811-12 दिनांकः 14.2.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय व विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

स्मरण पत्र प्रथम

विषयः प्रवेश नीति 2020–21 हेतु सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में।
सन्दर्भ :– आयुक्तालय का पत्र क्रमांक 763–64 दिनांक 29.01.2020.

महोदय,

हर वर्ष की भांति सत्र 2020–21 हेतु राज्य की प्रवेश नीति का निर्धारण आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जाना है। सत्र 2019–20 की प्रवेश नीति एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में आई कठिनाईयों / समस्याओं को दूर करने तथा प्रवेश नीति के कतिपय बिन्दूओं को और अधिक सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से आपसे सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रवेश नीति 2020–21 के प्रारूप को तैयार करने हेतु 15 दिवस में संयुक्त निदेशक (अकादमिक) की ई–मेल आई.डी. jdacad1960@gmail.com पर सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

लगभग 15 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी आज तक आपके सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। अतः अविलम्ब प्राचार्य अपने सुझावों को बिन्दुवार प्रवेश नीति एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया का पृथक् पृथक् बिन्दु के रूप में दिनांक 20.02.2020 तक संयुक्त निदेशक (अकादमिक) की ई–मेल आई.डी. jdacad1960@gmail.com पर प्रेषित करें। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि इसकी हार्ड कॉपी आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करनी है।

भवदीय,

14/2/2020

(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

प्रतिलिपिः
वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

14/2/2020

(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)